नगर निगम, गाजियाबाद

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

(ऑडिट रिपोर्ट)

प्रतिवेदित वर्ष–2024–25

(नगर निगम लेखा नियमावली के
नियम 77(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत)

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक।

7223
17/07/25

नगर निगम, गाजियाबाद

प्रेषक,

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास अनुभाग-7,
बापू भवन, उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः- 35/डी0/मु0न0ले0परी0/2025-26 दिनाङ्कः- 17/07/2025

विषयः- नगर निगम गाजियाबाद के वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम-77(1) के अनुसार नगर निगम गाजियाबाद के वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद।

संख्या एवं दिनाङ्क तदैवः-

प्रतिलिपिः-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, उ0प्र0; लखनऊ।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद।
3. सदन सचिव, नगर निगम गाजियाबाद।
4. प्रभारी कम्प्यूटर को नगर निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखाधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद।

IT officer
कृ0 आ0 का0 वा0
17.07.25

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन
(वित्तीय वर्ष 2024-25)

प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली के नियम-77(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तीन भागों, यथा (1) अनिस्तारित आपत्तियों की अद्यावधिक सूची, प्राविधिक त्रुटियों एवं अनियमितताओं का वर्णन तथा (2) मासिक रिपोर्ट में प्राधिकारियों को संज्ञान में लाई गई सामान्य तथा महत्वपूर्ण मामलों से समाविष्ट लेखा परीक्षा टिप्पणी में प्राधिकारियों द्वारा उस रिपोर्ट पर कार्यवाही तथा नगर निगम की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण (3) लेखा परीक्षा रिपोर्ट जिसे सरकार या नगर निगम गाजियाबाद से लेखा परीक्षा के अंश के रूप में आच्छादित किये जाने की अपेक्षा की गयी है, के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है:-

भाग-प्रथम

(इस भाग में लेखा नियमावली के नियम-77(1) के अनुसार सामान्य प्रशासन के साथ अनिस्तारित विशेष एवं साधारण आपत्तियों की संख्या, प्रतिवेदित अनियमितताओं एवं त्रुटियों का उल्लेख है।)

1. **प्रशासन:-**

प्रतिवेदित वर्ष (2024-25) में 01.04.2024 से 31.03.2025 तक श्रीमती सुनीता दयाल महापौर रहीं।

वित्तीय वर्ष-2024-25 में दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक श्री विक्रमादित्य सिंह मलिक (आई.ए.एस.) नगर आयुक्त पद पर रहे।

2. **सम्परीक्षण:-**

1. प्रतिवेदित वर्ष 2024-25 में सम्पूर्ण वर्ष श्री विवेक सिंह मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत रहे।
2. सम्परीक्षा विभाग में शासन द्वारा प्रेषित ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के सापेक्ष निम्नलिखित ज्येष्ठ लेखा परीक्षक कार्यरत रहे:-
   - I- श्री रोहिताश्व शुक्ल (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक) सम्पूर्ण वर्ष।
   - II- श्री विमलकांत सिंह (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक) सम्पूर्ण वर्ष।

3. अनिस्तारित आपत्तियाँ

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2021-22 से पूर्व के वर्षों के आपत्ति सम्बन्धी अभिलेख कतिपय कारणों से विभाग में अनुपलब्ध हैं, तथापि वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ से वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति तक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रेषित आपत्तियाँ/पत्र एवं उनके निराकरण की विभागीय स्थिति निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	आलोच्य अवधि में अनियमितताओं हेतु प्रेषित आपत्तियाँ/पत्र		आलोच्य अवधि में निस्तारित आपत्तियाँ		अनिर्णीत आपत्तियों का अंतिम अवशेष	
		विशेष	साधारण/पत्र	विशेष	साधारण/पत्र	विशेष	साधारण/पत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	स्वास्थ्य विभाग	—	03	—	—	—	45
2	निर्माण विभाग	—	04	—	—	02	36
3	जलकल विभाग	—	02	—	—	—	35
4	उद्यान विभाग	—	—	—	—	01	24
5	नजारत विभाग	—	01	—	—	—	36
6	सम्पत्ति विभाग	—	—	—	—	01	28
7	प्रकाश विभाग	—	—	—	—	—	27
8	विज्ञापन विभाग	—	—	—	—	—	21
9	लेखा विभाग	01	07	—	—	01	41
10	कर विभाग	—	—	—	—	03	28
11	अनुज्ञप्ति (लाईसेन्स)	—	—	—	—	—	22
12	अधिष्ठान विभाग	—	01	—	—	02	34
13	रिकार्ड (अभिलेख)	—	—	—	—	—	—
14	जनसूचना	—	01	—	—	—	01
15	विधि	—	03	—	—	—	08
16	विद्यालय	—	—	—	—	—	12
17	जेम	—	—	—	—	02	02
18	परिवहन विभाग	—	15	—	—	—	05
19	पेंशन विभाग	—	02	—	—	—	31
20	कोषागार	—	—	—	—	—	—
21	कम्प्यूटर	—	—	—	—	—	22
22	स्वच्छ भारत मिशन	—	—	—	—	—	—
23	पशुचिकित्सा विभाग	—	—	—	—	—	09
24	आई0टी0	—	—	—	—	—	08
25	पुस्तकालय	—	—	—	—	—	—
26	अन्य/समस्त	—	01	—	—	03	14
	योग	01	21	0	0	15	507

पूर्व वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदनों में नगर निगम तथा शासन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि नगर निगम के विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा सम्परीक्षा विभाग से प्रेषित पत्रों तथा आपत्तियों द्वारा ज्ञात कराई गई अनियमितताओं के निस्तारण में रुचि न लिए जाने के कारण सम्परीक्षा विभाग द्वारा सूच्य अनियमितताओं/आपत्तियों की स्थिति न केवल यथावत् बनी रही अपितु उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। लेखा नियमावली के नियम-79 में प्रविधानित किया गया है कि आपत्ति विवरण-पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर विभागाध्यक्ष आपत्ति निस्तारण हेतु उत्तर एवं अपने हस्ताक्षर सहित आपत्ति-पत्र वापस करेगा किन्तु नगर निगम में इस नियम की पूर्णतया अवहेलना की जा रही है।

3. <u>सामान्य त्रुटियों का विवरणः-</u>

वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय-व्यय के लेखा परीक्षण के समय निम्नलिखित त्रुटियाँ अधिकाशतः समस्त विभागों में पायी गईः-

I. प्रायः पेंशन पत्रावलियों में संलग्न अदेय प्रमाण-पत्रों पर पदाधिकारियों के पदनाम एवं मुहर आदि अंकित नहीं किये जाते हैं।

II. लेखा नियमावली के नियमों की अवहेलनाः- लेखा नियमावली के नियम-5 के अनुसार प्रत्येक अशुद्ध एवं अपरलेखन को उत्तरदायी कर्मचारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये परन्तु ऐसा प्रायः नहीं पाया जाता। अधिकृत सत्यापन के अभाव में किया गया अपर लेखन एवं अशुद्ध लेखन भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है।

III. अधिकांशतः विभागों द्वारा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार नहीं किया जाता है। सेवा पुस्तिकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रविष्टियों का पूर्ण उल्लेख नहीं पाया गया; कतिपय मामलों में कई वर्षों के सेवाकाल/सेवानिवृत्ति की प्रविष्टियाँ अंकित नहीं पायी गयीं। प्रायः सेवा पुस्तिकाओं में छठवें एवं सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रविष्टियाँ त्रुटिपूर्ण पायी गयीं। सेवा पुस्तिकाओं में समस्त प्रविष्टियाँ प्रायः सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं पायी गयीं।

IV. लेखा नियमावली के अनुसार आय-व्यय के परीक्षण हेतु कैश बुक का दैनिक परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है परन्तु लेखा विभाग द्वारा कैश बुक को दैनिक सम्परीक्षणार्थ उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

भाग-द्वितीय
(वित्तीय वर्ष 2024-25 का लेखा परीक्षण)

1. **वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त एवं निस्तारित पेंशन/उपदान तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विषयों की समीक्षाः-**

01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक कुल 108 पेंशन /उपदान तथा 301 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण लेखा विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत किये गये। समस्त पेंशन/उपदान पत्रावलियों के प्रकरणों में सम्परीक्षण के समय दृष्टिगत आपत्तियों से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया।

1. विभागों द्वारा भेजी गयी पत्रावलियाँ अपूर्ण पायी गयीं। लेखा विभाग का यह दायित्व है कि लेखा परीक्षण में पत्रावलियाँ भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भेजी जाने वाली पत्रावलियों में सभी आवश्यक पत्र-जात संलग्न हैं अथवा नहीं, किन्तु लेखा विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया फलस्वरूप अपूर्ण पत्रावलियाँ ही लेखा परीक्षण में भेजी जाती रहीं।
2. पेंशन पत्रावलियों में वेतन तालिकायें अधिकांशतः त्रुटिपूर्ण पायी गयीं यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्हें किस आधार पर तैयार किया गया है। लेखा विभाग का यह दायित्व है कि उन तालिकाओं का मिलान मूल वेतन देयकों से कर लिया जाए तथा शुद्ध पाये जाने पर ही सम्परीक्षा हेतु भेजी जाए।
3. लेखा परीक्षण के दौरान दृष्टिगत अनियमितताओं से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभागों को अवगत कराया गया। अधिकांश पत्रावलियों पर बार-बार आपत्तियाँ करने पर भी उनका निस्तारण नहीं किया गया। लेखा विभाग का दायित्व है कि वह उठाई गयी आपत्तियों के पूर्ण निस्तारण करवाने के पश्चात् ही जाँचोपरान्त पत्रावलियों को लेखा परीक्षण हेतु भेजे, किन्तु लेखा विभाग द्वारा इसका पालन नही किया गया और पत्रावलियों को बिना जाँचे ही लेखा परीक्षण में भेज दिया गया।
4. कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे से सम्बन्धित प्रकरणों में भी बिना आवश्यक अभिलेख संलग्न किये ही सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाता है ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरणों का निस्तारण ससमय किया जाना सम्भव नहीं हो पाता।
5. पूर्व वर्णित कठिनाईयों के अतिरिक्त पेंशन पत्रावलियों को ससमय प्रस्तुत न किया जाना भी एक गम्भीर समस्या है। नियमतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व ही पत्रावलियाँ सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए परन्तु कतिपय प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के दो वर्ष उपरान्त भी पेंशन हेतु पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। यह कटु सत्य है कि सम्बन्धित विभाग तथा लेखा विभाग द्वारा यदि पूर्ण सहयोग किया जाये तो पेंशन/उपदान के मामलों के निस्तारण में शीघ्रता सम्भव है।

2. नगर निगम की वित्तीय स्थिति वर्ष 2024-25

(क)-प्रारंभिकः-

लेखा विभाग द्वारा अत्यधिक विलम्ब से उपलब्ध कराये गये असत्यापित वार्षिक लेखा विवरण पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष-2024-25 के आय-व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रारम्भिक अवशेष (वास्तविक):-6281115881.64

आय

मद	प्राविधानित आय	वास्तविक आय
राजस्व लेखा	45906700000.00	3501482393.00
पूंजी लेखा	12619600000.00	9310508538.00
उच्चन्त लेखा	645600000.00	302931021.36
महायोग	**17855870000.00**	**13114921952.36**

उपर्युक्त आय (विभिन्न मदों में) नगर निगम गाजियाबाद के वार्षिक लेखा विवरण में उल्लिखित है।

व्यय

मद	प्राविधानित व्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व लेखा	4581760000.00	6433037893.80
पूंजी लेखा	11410800000.00	2932705595.00
उच्चन्त लेखा	643500000.00	159117919.00
महायोग	**19636260000.00**	**9524861407.80**

उपर्युक्त व्यय (विभिन्न मदों में) नगर निगम गाजियाबाद के वार्षिक लेखा विवरण में उल्लिखित है।

रोकड़बही का अन्तिम अवशेषः—9871176426.20

(ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय एवं व्यय के लेखों पर सम्परीक्षण टिप्पणीः-

आय पक्ष

लेखा शीर्षक	लेखा मद	2024-2025 (बजट अनुमान)	कुल आय का वास्तविक वर्ष (2023-24)	कुल आय वास्तविक आय वर्ष (2024-25)	आय में कमी
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
3.4	जल बिक्री से आय(जल मूल्य)	500000	201480.00	0.00	201480.00
3.6	कूड़ा विक्रय से आय	20000000	10370503.00	2550000.00	7820503.00
4.2	अस्थायी प्रयोग भूमि	2000000	5346758.00	3243833.00	2102925.00
4.5	नर्सरी(अस्थायी भूमि)	8000000	10161207.00	6028483.00	4132724.00
6.5	जन्म, मृत्यु पंजीकरण शुल्क	300000	28107.00	11794.00	16313.00
6.11	निविदा/कोटेशन शुल्क, स्वानो का पंजीकरण शुल्क व अन्य	40000000	41837434.00	25040103.00	16797331.00
6.12	सॉई मन्दिर दान-पात्र से प्राप्त राशि	1500000	187163.00	179058.00	8105.00
6.13	यूजर चार्जिज	100000000	70401729.00	51121709.74	19280019.26
6.14	गऊशाला से आय	4000000	6500.00	0.00	6500.00
	योग	**176300000**	**138540881.00**	**88174980.74**	**50365900.26**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा विवरण के अवलोकन से विदित हुआ है कि विगत वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपर्युक्त मदों में अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त हुई।

उपर्युक्त तालिका के विभिन्न लेखा मदों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 50365900.26/- (पाँच करोड़ छत्तीस लाख पाँच हजार नौ सौ रूपये एवं छब्बीस पैसे मात्र) अर्थात लगभग 36.35 प्रतिशत की कम आय प्राप्त हुई। ध्यातव्य है कि उपर्युक्त मदों के कुल बजट अनुमान 176300000.00 मात्र के सापेक्ष मात्र 50.01 प्रतिशत आय हुई, जो निश्चित रूप से चिन्तनीय विषय है।

I. लेखाशीर्षक 3.4 जल बिक्री से आय (जल मूल्य) में पिछले वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 100 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

II. लेखाशीर्षक 3.6 कूड़ा विक्रय से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 75.41 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 87.25 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

III. लेखाशीर्षक 4.2 अस्थायी प्रयोग भूमि से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 39.33 प्रतिशत कमी प्रदर्शित हो रही है।

IV. लेखाशीर्षक 4.5 नर्सरी (अस्थायी भूमि) से आय में पिछले वर्ष की अवधि के तुलना में 40.67 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 24.64 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

V. लेखाशीर्षक 6.5 जन्म, मृत्यु पंजीकरण शुल्क से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 58.04 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 96.07 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

VI. लेखाशीर्षक 6.11 निविदा/कोटेशन शुल्क, स्वानों का पंजीकरण शुल्क व अन्य से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 40.15 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 37.40 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

VII. लेखाशीर्षक 6.13 यूजर चार्जिज से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 27.39 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 48.88 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

VIII. लेखाशीर्षक 6.14 गऊशाला से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के सापेक्ष 100 प्रतिशत आय में कमी प्रदर्शित हो रही है।

विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में कम आय प्राप्त होने से स्पष्ट है कि इनकी प्राप्ति हेतु समुचित प्रयास नहीं किये गये।

व्यय पक्ष

आलोच्य अवधि 2024-25 में विगत वर्ष 2023-24 की तुलना में निम्नांकित मदों के अधीन अधिक व्यय हुआ है:-

लेखा शीर्षक	लेखा मद	2024-2025 (बजट अनुमान)	कुल व्यय वास्तविक वर्ष 2023-24	कुल व्यय वास्तविक वर्ष 2024-25	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में अधिकता
1	2	3	4	5	6= 5-4
9.3	वार्डों के अनुरक्षण कार्य एवं मार्ग, सड़क निर्माण कार्य।	800000000	314886677.26	331823286.00	16936609.26
9.4	स्टोर	30000000	445436.00	6568448.00	6123012.00
9.5	भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य	20000000	1783517.00	8389099.00	6605582.00
9.6	पैंच कार्य	50000000	1673667.00	26395514.00	24721847.00
9.7	मलिन बस्ती/शहरी गरीबी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य हेतु।	60000000	9472507.00	24669317.00	15196810.00
9.8	आकस्मिक एवं अविृष्टि सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु।	20000000	2575826.00	16461319.00	13885493.00
9.9	रोड कटिंग से प्राप्त आय से क्षतिग्रस्त सड़को की मरम्मत कार्य।	20000000	0.00	2686755.00	2686755.00
9.10	सड़को का सौन्दर्यकरण एवं सुरक्षा कार्य।	30000000	790351.00	11599709.00	10809358.00
10.3.A	हैण्डपम्प स्थापना	10000000	276700.00	9356551.00	9079851.00
10.3.B	नयी पाईप लाईन	40000000	28383542.00	39906728.00	11523186.00
10.3.C	नलकूप रिबोर एवं स्थापना	70000000	27360823.00	67387837.00	40027014.00
10.4.A	नलकूपों आदि का ठेके पर संचालन एवं अनुरक्षण कार्य।	120000000	40026080.00	119996706.00	79970626.00
10.4.B	पाईप लाईन मरम्मत	45000000	21737790.00	43932893.00	22195103.00
10.4.C	हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर कार्य	16000000	3607643.00	15892607.00	12284964.00
10.4.D	सीवेरज पम्पिंग प्लॉट का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य,डी0जी0 एवं डीजल रहित।	3000000	105600.00	2996286.00	2890686.00
10.6.A	सीवर व्यवस्था	20000000	4299400.00	12149000.00	7849600.00
10.6.B	मैनहॉल मरम्मत	3000000	0.00	1572466.00	1572466.00
10.7	स्टोर	30000000	3346831.00	29913507.00	26566676.00
10.8	शहरी मलिक बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना हेतु।	70000000	56524693.00	67811016.00	11286323.00
10.10	नालो का रेमिडिएशन का कार्य।	20000000	4911302.00	13795780.00	8884478.00
10.12	तालाबों का सौन्दर्यकरण/पुनःद्धार	10000000	13800.00	2116744.00	2102944.00
10.13	आकस्मिक कार्य।	20000000	1729800.00	15399033.00	13669233.00
10.14	टी0एस0टी0पी0 संचालनकर्ता फर्म को भुगतान	300000000		5518313.00	5518313.00
11.3	अनुरक्षण कार्य स्टोर सामग्री उपकरणों का रख-रखाव डीजल आदि।	80000000	39848383.00	76086747.00	36238364.00
11.4	ठेके पर अनुरक्षण कार्य।	42050000	31190076.00	38362573.00	7172497.00
11.6	शहरी मलिन बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्रा/शहरी ग्रामीण क्षेत्रा के विकास हेतु।	10000000	34300.00	9829198.00	9794898.00

11.7	पार्कों के अन्दर प्रकाश व्यवस्था हेतु।	5000000	0.00	4789554.00	4789554.00
12.3	अनुरक्षण कार्य,स्टोर सामग्री,उपकरण रख-रखाव	100000000	26434700.00	84694699.00	58259999.00
12.6	संक्रामक रोगों के रोकथाम व अन्य आकस्मिक कार्यो हेतु	15000000	7032295.00	12078466.00	5046171.00
12.7	शहरी मलिन बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्र का सफाई कार्य।	220000000	191539737.00	209299595.00	17759858.00
12.9	सेकेण्डरी कलेक्शन	1000000	233200.00	578200.00	345000.00
13.5	अनुरक्षण उपकरण मरम्मत,भण्डार, डीज़ल आदि	50000000	21150137.00	39073313.00	17923176.00
13.7	पार्कों की क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल एवं फुटपाथ आदि का निर्माण कार्य।	150000000	32433352.00	122059562.00	89626210.00
13.8	डीजल पर व्यय	50000000	34264788.00	45059619.00	10794831.00
16.3	विविध व्यय- (कोर्ट फीस आदि)	500000	145136.00	273356.00	128220.00
17.3	सामान्य स्टोर	60000000	36830395.00	59929952.00	23099557.00
17.4	टेलीफोन	5000000	2519388.00	3418737.00	899349.00
17.7	विविध ठेके पर कार्य मीटिंग समारोह, विज्ञापन	17500000	12347459.00	17306973.00	4959514.00
17.8	कम्प्यूटरीकरण (मॉड्यूलर ऑफिस,फर्नीचर व अन्य)	7500000	1871314.00	7395944.00	5524630.00
17.10	विविध व्यय	60000000	10935027.00	355203040.00	344268013.00
17.11	ठेके पर रखे गये तकनीकी कर्मियों पर व्यय	120000000	79976178.00	110814072.00	30837894.00
17.12	डीजल एवं पैट्रोल	12000000	5971565.00	8599715.00	2628150.00
	योग	**2812550000**	**1058709415.26**	**2081192229.00**	**1022482814.26**

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 21 मदें ऐसी हैं जिनमें आलोच्य अवधि 2024-25 में तालिका में वर्णित शेष समस्त मदों से अधिक व्यय हुआ है, जो इस प्रकार हैं:-

वार्डों के अनुरक्षण कार्य एवं मार्ग, सड़क निर्माण कार्य। (9.3), मलिन बस्ती/शहरी गरीबी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य हेतु। (9.7), आकस्मिक एवं आवृष्टि सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु। (9.8), सड़को का सौन्दर्यकरण एवं सुरक्षा कार्य। (9.10), नयी पाईप लाईन (10.3.B), नलकूप रिबोर एवं स्थापना (10.3.C), नलकूपों आदि का ठेके पर संचालन एवं अनुरक्षण कार्य (10.4.A), पाईप लाईन मरम्मत (10.4.B), हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर कार्य (10.4.C), स्टोर (10.7), शहरी मलिक बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना हेतु। (10.8), आकस्मिक कार्य (10.13), अनुरक्षण कार्य स्टोर सामग्री उपकरणों का रख-रखाव डीजल आदि। (11.3), अनुरक्षण कार्य, स्टोर सामग्री, उपकरण रख-रखाव (12.3), शहरी मलिक बस्ती/शहरी गरीब क्षेत्र/शहरी ग्रामीण क्षेत्र का सफाई कार्य। (12.7), अनुरक्षण उपकरण मरम्मत, भण्डार, ड़ीजल आदि (13.5), पार्कों की क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल एवं फुटपाथ आदि का निर्माण कार्य। (13.7), डीजल पर व्यय (13.8), सामान्य स्टोर (17.3), विविध व्यय (17.10), ठेके पर रखे गये तकनीकी कर्मियों पर व्यय(17.11)।

अतएव मितव्यियता सम्बन्धी शासनादेश के आलोक में व्यय पर नियन्त्रण रखा जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त निम्न मदों में कोई व्यय नहीं हुआ है:-

रात्रि कालीन सफाई कार्य (12.4.A), किराये पर वाहनों के सापेक्ष व्यय (डोर-टू-डोर प्राईमरी कलेक्शन) (12.8), विद्युत बिलों का भुगतान (13.4), विद्यालय की अवस्थापना सुविधायें (14.2), खेलकूद एवं सांस्कृतिक गातिविधि (14.5), निगम की भूमियों के रख-रखाव पर व्यय (15.3), डीजल पर व्यय (15.4)।

उपर्युक्त लेखा मदों के लिए आवंटित कुल बजट तखमीने की धनराशि का उपयोग अपेक्षित है।

शासकीय अनुदान एवं अन्य मदों से व्यय

आलोच्य अवधि 2024-25 में विगत वर्ष 2023-24 की तुलना में शासकीय अनुदान एवं अन्य मदों से व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

लेखा शीर्षक	लेखा मद	बजट अनुमान (2024-25)	कुल व्यय वास्तविक वर्ष (2024-25)	कुल व्यय वास्तविक वर्ष (2023-24)	पिछले वर्ष की तुलना में आय में कमी/वृद्धि
1	2	3	4	5	(4-5=6)
19.1	औद्योगिक क्षेत्रों में कराये गये विकास कार्य	40000000	727974.00	0.00	727974.00
19.3	स्टाम्प शुल्क(अवस्थापना)	1840000000	108192057.00	70848069.00	37343988.00
19.4	विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद के योजना हस्तान्तरण एवं अशं से आय।	1500000000	16158200.00	0.00	16158200.00
19.5	अन्य सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से कार्य हेतु प्राप्त राशि(जी0डी0ए0,पोल शिफ्टिंग अन्य)	215000000	107344993.00	124885051.00	(-)17540058.00
19.6	14 वाँ वित्त आयोग-ब्याज सहित(भारत सरकार)	42000000	6747509.00	77651987.00	(-)70904478.00
19.7	15 वँ वित्त आयोग-ए0क्यू0आई0(भारत सरकार)	1720000000	160329817.00	0.00	160329817.00
19.8	15 वँ वित्त आयोग-एस0डब्लू0एम0(भारत सरकार)	2470000000	1894271360.00	1846875564.00	47395796.00
19.10	आकस्मिक कार्यो हेतु शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष(राज्य सरकार)	48000000	3441451.00	65388293.00	(-)61946842.00
19.13	कान्हा गऊशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना (राज्य सरकार)	29000000	30940577.00	31259657.00	(-)319080.00
19.15	सी0एम0ग्रीड योजना(राज्य सरकार)	1000000000	1371910.00	0.00	1371910.00
19.16	स्मार्ट सिटी मिशन(केन्द्र व राज्य के संयुक्त अनुदान)	760000000	152067317.00	228589998.00	(-)76522681.00
19.17	अमृत योजना(केन्द्र व राज्य के संयुक्त अनुदान)	210000000	2973084.00	0.00	2973084.00
19.18	स्वच्छ भारत मिशन(केन्द्र व राज्य के संयुक्त अनुदान)	445600000	6322848.00	346767755.00	(-)283544907.00
	योग	10319600000	2547789097.00	2792266374.00	(-)244477277

इसके अतिरिक्त निम्नांकित मदों में आलोच्य अवधि 2024-25 में कोई व्यय नहीं हुआ है, जो इस प्रकार है:- मा0 सदन/कार्यकारिणी/महापौर प्राथमिकता के अन्य विकास कार्य (19.2), सांसद निधि (19.9), नगरीय सड़क सुधार योजना (राज्य सरकार) (19.11), नगरीय जल निकासी योजना (19.12) विधायक निधि (राज्य सरकार) (19.14), यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 (19.19)।

नगर निगम की अच्छी छवि के लिए शासकीय अनुदान एवं अन्य मदों से व्यय की निर्धारित निधियों के समुचित उपयोग पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इस ओर शासन तथा नगर निगम प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

विशेष आपत्ति/ साधारण आपत्ति /पत्र

विशेष आपत्ति

नगर आयुक्त महोदय,

विषयः- लेखा विभाग द्वारा लेखा नियमावली के प्राविधानों के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में।

नगर निगम के लेखों से सम्बन्धित अभिलेखों की नियमित सम्परीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ है कि लेखा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली में वर्णित नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जो स्पष्टतः नियमों का उल्लंघन तथा गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है। लेखा विभाग द्वारा नियमावली के अधोलिखित नियमों का अनुपालन पूर्णतः अप्राप्त है:-

लेखा नियमावली के नियम 21 के अनुसार रोकड़बही में प्रविष्टि के उपरांत चालान माँग एवं समाहरण रजिस्टर में उपयुक्त स्थान पर चढ़ाते हुए प्रपत्र संख्या-16 में समाहरण के दैनिक संक्षेप दर्ज किया जाना प्राविधानित हैं। साथ ही लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ ऐसे चालानों के रक्षी पत्रावली (Guard File) में रखे जाने के भी प्राविधान हैं, परन्तु ऐसी कोई भी पत्रावली सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. नियम 50 के अनुसार रद्द किये गये चेकों को न तो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के सम्मुख नष्ट करने हेतु प्रस्तुत किया गया एवं न ही ऐसी किसी सूचना का प्रकटीकरण अद्यतन तिथि तक लेखा विभाग द्वारा किया गया है।
3. नियम 53 के अन्तर्गत प्रत्येक अग्रिम प्राप्तकर्ता पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को इस आशय की अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करेगा कि धनराशि उसके द्वारा देय है और उसे उस धनराशि का लेखा देना है। साथ ही नियम 57(3) के अनुसार प्रत्येक अग्रिम का समायोजन उस वर्ष समाप्त होनें के पूर्व किया जायेगा तथा किसी पदाधिकारी को नया अग्रिम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक पहले दिये गये अग्रिम का समायोजन न कर लिया गया हो, परन्तु ऐसी किसी अभिस्वीकृति अथवा अग्रिम के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ कोई भी पत्रावली सम्परीक्षाणार्थ प्रस्तुत नहीं की जाती गई है।
4. नियम 58(1) के अनुसार सामान्य रोकड़-बही को प्रतिदिन बन्द किया जायेगा तथा उसकी बाकी निकाली जायेगी और उस पर लेखा अधिकारी स्वयं तथा नगर आयुक्त अथवा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी हस्ताक्षर करेगें, परन्तु लेखा विभाग द्वारा उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
5. नियम 58(3) के अनुसार प्रति वर्ष मार्च के अन्तिम कार्य दिवस को वास्तविक अन्तिम शेष आगामी दिन के सायंकाल 5 बजे के पूर्व निश्चित रूप से सूचित किया जायेगा परन्तु उक्त तिथि से एक मास व्यतीत होने के उपरान्त भी अद्यतन तिथि तक ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. नियम 72(3) के अनुसार विभिन्न विभागों में रखी गई लेखा पुस्तकों की जाँच लेखाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा पाई गई अनियमितताओं तथा हानि होने की सम्भावना की सूचना लेखाधिकारी द्वारा तत्काल नगर आयुक्त तथा मुख्य नगर लेखा परीक्षक को दी जायेगी किन्तु ऐसी किसी जाँच अथवा हानि की सूचना अद्यतन तिथि तक प्रेषित नहीं की गई है।
7. नियम 75 के अन्तर्गत समस्त भुगतानों, जैसे ही वे किये जाये तथा समस्त प्राप्तियों; जैसे ही वे सामान्य रोकड़बही के लेखा में दर्ज की जाएँ; का परीक्षण किया जायेगा परन्तु उक्त नियम के अनुपालन में विगत वित्तीय वर्ष (2023-2024) में एक, दो बार ही सामान्य रोकड़ बही उपलब्ध कराई गई, वह भी अपूर्ण स्थिति में रही। निरन्तर रूप से लेखाधिकारी को सूचित किये जाने के उपरांत भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। साथ ही लेखा विभाग द्वारा बैंक समाधान (Reconciliation), लेखा स्टेटमेण्ट तथा सहायक अभिलेख भी सम्परीक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, जो स्पष्टतः अनियमितता का सूचक तथा कदाचार का सङ्केतक है।

प्रस्तुत प्रकरण निगम हित में उत्तर प्रदेश लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि लेखा नियमावली के उपर्युक्त नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना सम्भव हो सके, विशेषतः सामान्य रोकड़बही को दैनिक रूप से परीक्षण न कराये जाने के कारण भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता तथा नगर निगम के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशङ्का को शून्य किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में लिए गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है।

पत्रांकः- वि0/आ0/01/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनांङ्कः-20.05.2024

नगर निगम प्रशासन को सन्दर्भित पत्र

प्रभारी कार्मिक सामान्य अधिष्ठान
प्रभारी कार्मिक जलकल/स्वास्थ्य
प्रभारी पेंशन
लेखाधिकारी।

कृपया अवगत कराना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली व सेवा पुस्तिका बिना जाचं एवं आवश्यक कार्यवाही किये बिना ही पेंशन विभाग द्वारा सम्परीक्षा विभाग में प्रेषित कर दी जाती है जिससे पेंशन/उपादान पारित करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। कतिपय पत्रावलियों में वेतन निर्धारण त्रुतिपूर्ण रहते है साथ ही विभागों की अनापत्ति-प्रमाणपत्र न तो विभागाध्यक्षों द्वारा निर्गत किये जाते है न ही उसकी भाषा स्पष्ट होती है लिपिकीय स्तर पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना घोर आपत्ति का विषय है साथ ही उसमे अनियमितता की भी संम्भावना रहती है विशेषतः सम्पत्ति विभाग के सम्बन्ध में।

अतः यह अपेक्षित है कि भविष्य में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् ही पत्रावलियॉं सम्परीक्षा हेतु अग्रसारित की जायेः-

1. कर्मचारी का नियुक्ति पत्र व आयु प्रमाण-पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
2. कर्मचारी का स्थायीकरण किया गया है अथवा नहीं?
3. सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण की जांच की गयी हो।
4. समयमान चयन/प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है अथवा नही?
5. पंचम वेतन, छठे वेतन एवं सातवे वेतन के निर्धारण प्रपत्र संलग्न होना अनिवार्य है
6. अग्रिम भुगतान के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न होना अनिवार्य है।
7. मृतक कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूल या अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अनिवार्य है।
8. मृतक आश्रित पारिवारिक सदस्यों का हलफनामा संलग्न अनिवार्य है।
9. पारिवारिक सिजरा/वारिसान संलग्न अनिवार्य है।
10. अनापत्ति प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित)

अतः कृपया उक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

पत्रांकः-28/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांकः- 25.07.2024

लेखाधिकारी

नगर निगम के विभिन्न कार्यों के निष्पादनार्थ आउटसोसिंग श्रमिकों की आपूर्ति प्राप्त की जाती है। उक्त श्रमिकों के पारिश्रमिकों के भुगतानार्थ प्रस्तुत की जा रही पत्रावलियाँ सम्परीक्षाणार्थ प्रेषित नहीं कि जा रही हैं, ऐसी दशा में श्रमिकों को नियमों/शासनादेशों के आलोक में समस्त लाभ; विषेशतः EPF/ESIC सम्बन्धी; प्रदान किये जा रहे हैं अथवा नहीं, यह स्पष्ट नही हो पा रहा है।

अतः उपर्युक्त के क्रम में विभिन्न विभागों में कार्यरत समस्त आउटसोसिंग श्रमिकों के भुगतान सम्बन्धी समस्त पत्रावलियाँ सम्परीक्षणार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में अनियमित भुगतान होने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की संस्तुति सक्षम प्राधिकारी को कर दी जायेगी।

पत्रांकः-30/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांकः- 26.07.2024

लेखाधिकारी

सम्परीक्षा विभाग को नगर निगम अधिनियम की धारा 142(2) के अनुपालन में माननीय कार्यकारिणी के दो सदस्यो के हस्ताक्षरार्थ मासिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सत्यापित मासिक आय-व्यय सार की अपेक्षा है। **मौखिक रूप से तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांकः- 59/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनाङ्क 23/08/ 2023, पत्रांकः-72/डी0/मु0न0ले0परी0/2023-24, दिनाङ्क 21/09/2023 के द्वारा आगामी मासों का आय-व्यय सार विलम्बतम अग्रिम दिनाङ्क 10 तक प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु अद्यतन तिथि तक माह अप्रैल, मई, जून 2024 के आय-व्यय सार का लेखा उपलब्ध नही कराया गया है।**

अतः त्रैमासिक आय-व्यय सार उपलब्ध कराने हेतु तथा आगामी मासों का आय-व्यय सार विलम्बतम अग्रिम दिनाङ्क 10 तक प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे त्रैमासिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन माननीय कार्यकारिणी के समक्ष ससमय प्रस्तुत किया जा सके, अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्मिक का होगा।

पत्रांकः-33/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांकः- 31.07.2024

मुख्य अभियन्ता (निर्माण)

निर्माण विभाग की कतिपय पत्रावलियों के सम्परीक्षण में ज्ञात हुआ है कि रायल्टी सम्बन्धी कटौती में नियमों का पूर्ण पालन नही हो पा रहा है, इस कारण रायल्टी की कम अथवा गलत कटौती की जा रही है। उचित होगा कि रायल्टी प्रपत्रों को सम्बन्धी पोर्टल से सत्यापित करते हुए नियमानुसार रायल्टी की कटौती ठेकेदारो के देयकों से की जाये। शासनादेश के क्रम में बिना वैध अभिवहन प्रपत्र के उपखनिज का प्रयोग किये जाने पर रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य की कटौती ठेकेदार के देयक से कर लिया जाये। शासनादेश संख्या-39/2020/990/86-2020-52(सा0)/2019टीसी, दिनाङ्क 23 जून 2020 के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त/आपूर्ति उपखनिज पर देय रायल्टी का यदि कार्यदायी संस्था/विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ठेकेदार से भुगतान सुनिश्चित कराये बिना प्रश्नगत उपखनिज के बिल का अन्तिम भुगतान कर दिया जाता है तो निहित सरकारी राजस्व हानि हेतु सम्बन्धित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

कृपया उर्पयुक्त के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सके।

पत्रांकः-37/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांकः- 06.08.2024

पेंशन प्रभारी,
लेखाधिकारी।

संपरीक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन/उपादान सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण सतत रूप से किया जा रहा है। पेंशन विभाग द्वारा संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत की जा रही पत्रावलियों में त्रुटियॉ न रह जाये इस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर चेक-लिस्ट जारी की जाती रही है। कृपया अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्याः-28/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनाङ्क 25/07/2024 का अवलोकन करने का कष्ट करे। पत्रावलियों को त्रुटिपूर्ण रहित बनाने हेतु पेंशन लिपिक को मौखिक रूप से निर्देशित भी किया गया है परन्तु वर्तमान में जो भी पत्रावलियॉ प्रस्तुत की गयी हैं किसी भी पत्रावलियों में चेक लिस्ट के अनुसार जांच नही की जाती और अपूर्ण पत्रावलियॉ परीक्षण हेतु प्रस्तुत कर दी जाती है।

सेवानिवृत्त कार्मिकों का समय से भुगतान किया जाना निगम की प्राथमिकता होनी चाहिए परन्तु पेंशन विभाग की अकर्मण्यता के कारण पत्रावलियों में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं कार्मिक के समय से भुगतान नही हो पाते। वर्तमान में जो भी पत्रावलियॉ सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गयी है वे सभी अपूर्ण है एवं इस आशय के साथ पुनः पेंशन विभाग को वापस की जाती है कि तत्काल पत्र के साथ संलग्न चेक-लिस्ट के अनुसार तैयार कर तीन दिवस में परीक्षण हेतु प्रस्तुत करें ताकि कार्मिकों का यथाशीघ्र भुगतान सम्भव हो सके।

इस सम्बन्ध में यह भी अपेक्षित है कि पेंशन विभाग में वर्तमान में कितनी पत्रावलियॉ लंबित है इसकी सूचना सत्यापित प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये ताकि तदनुरूप कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः-43/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25,दिनांकः- 31.08.2024

लेखाधिकारी

लेखा विभाग द्वारा वर्तमान में प्रेषित जलकल विभाग की क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों से सम्बन्धित कतिपय पत्रावलियों में दरों सम्बन्धी विसङ्गतियाँ परिलक्षित हुई हैं, जिससे नगर निगम को वित्तीय क्षति की पूर्ण सम्भावना है।

अतः अपेक्षित है कि उक्त प्रकार की समस्त पूर्ववर्ती पत्रावलियों का भुगतान रोकते हुए लेखा विभाग में उपलब्ध समस्त पत्रावलियों को पुनर्परीक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में शीघ्रतिशीघ्र प्रेषित किया जाए।

पत्रांकः-44/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांकः- 31.08.2024

महाप्रबन्धक(जल)

जलकल विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की कतिपय पत्रावलियों के सम्परीक्षणोपरान्त अधोलिखित विसङ्गतियाँ दृष्टिगत् हुई हैं:-

सिटी जोन के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पाईप लाईन मरम्मत के कार्यों में दरों में विसङ्गतियाँ दृष्टव्य हैं। ध्यातव्य है कि उक्त दरों के कारण एक ही पत्रावली में न्यूनतम रू0 17852.51 धनाङ्क की हानि निगम को पहुँचाई गई है। उक्त कार्यों हेतु जलकल विभाग के आगणन प्रपत्र (संलग्नक-01,02) में 90mm एवं 200 mm की पाईप लाईनों हेतु एक ही दिनाङ्क 16.10.2023 को समान अभियन्ताओं द्वारा समान कार्य हेतु दो आगणन दरें निर्मित किया जाना गम्भीर रूप से आपत्तिजनक तथा सम्बन्धित के कदाचार का सङ्केतक है।

2- पत्रावलियों के अनुशीलन से ज्ञात हुआ है कि प्रश्नगत दरें विभिन्न आकार की पाईप लाईनों की मरम्मत हेतु आमंत्रित निविदा से प्राप्त की गई हैं, जो विभागीय स्तर से स्वीकृत हैं जबकि नगर विकास अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2147/नौ-2-2011-3 आडिट/2008, दिनाङ्क 10 जून 2011 द्वारा निर्देशित किया गया है कि कि **समस्त स्थानीय निकायों में निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित रेट पर ही सम्पादित कराया जाये। जहॉ लोक निर्माण विभाग का शेड्यूल ऑफ रेट उपलब्ध न हो वहॉ दर का लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी से सत्यापन कराये जाने के पश्चात् ही कार्य सम्पन्न कराया जाये।** उक्त का अनुपालन प्रश्नगत प्रकरण में सुनिश्चित न किया जाना सम्बन्धित द्वारा नियमों की जानकारी के अभाव का सूचक तथा वित्तीय अनियमितता को प्रश्रय दिये जाने का सङ्केतक है।

3- सूच्य है उक्त प्रकार की समस्त पत्रावलियों में निविदा अथवा कोटेशन की प्रक्रिया का पालन न करते हुए, सम्बन्धित फर्म का यादृच्छिक चयन करते हुए सहमति के आधार कार्य कराया गया है, जिससे निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त नहीं कराया गया जो सामान्य वित्तीय नियम-2017 में वर्णित प्राविधानों के प्रतिकूल तथा आपत्तिजनक है।

अतः उपर्युक्त समस्त आपत्तियों के दृष्टिगत् भविष्य में नियमों/शासनादेशों के अनुरूप कार्य कराते हुए तथा सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्य नियमानुकूल कराया जाना अपेक्षित है जिससे नगर निगम के वित्तीय हितों की संरक्षा सुनिश्चित किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः-45/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांकः- 02.09.2024

लेखाधिकारी

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या-44/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनाङ्क-31/08/2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, तत्क्रम में लेखा विभाग द्वारा पत्रांक संख्या-213/लेखा/2024-25, दिनाङ्क 03/09/2024 को 16 फर्मो की 46 पत्रावलियाँ पुनर्परीक्षणार्थ प्रेषित की गई थी, जिसमें प्रश्नगत प्रकरण; विभिन्न पेयजल लाईनों की मरम्मत करके मिलान; सम्बन्धी 22 पत्रावलियॉ प्राप्त हुई। पुनः परीक्षणोपरांत अधोलिखित 06 फर्मो की पत्रावलियों में उक्त विसङ्गतियाँ दृष्टिगत् हुई हैं:-

क्रम संख्या	फर्म का नाम	पत्रावलियों की संख्या
1.	SAI ENTERPRISES	01
2.	CHANDAR SHEKHAR	01
3.	R.G.ENGG-	011
4.	DAKSH ENTERPRISES	01
5.	DEV ENTERPRISES	02
6.	ANUJ KUMAR	02

अधिकांश पत्रावलियों में प्राप्त उपर्युक्त विसङ्गतियों को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के संख्या-45/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनाङ्क-02/09/2024 द्वारा महाप्रबन्धक जल को निस्तारणार्थ अवगत कराया जा चुका है, उक्त फर्मों हेतु महाप्रबन्धक जल द्वारा आपत्ति निस्तारणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित।

पत्रांकः-46/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25दिनांकः- 04.09.2024

मुख्य अभियन्ता (निर्माण)

निर्माण विभाग की कतिपय पत्रावलियों के सम्परीक्षण में अधोलिखित विसङ्गतियाँ दृष्टव्य हैं:-

कतिपय पत्रावलियों में निर्माण कार्य हेतु बन्धक बनाये जाने वाली जमानत राशि सम्बन्धी प्रपत्रों तथा निविदा राशि से न्यून राशि हेतु प्राप्त किये जाने वाले निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) सम्बन्धी प्रपत्रों को एक ही साथ संयुक्त कर F.D.R इत्यादि लिया जाता है, जो नियमानुकूल नहीं है। सूच्य है कि निष्पादन प्रतिभूति को कार्योपरान्त तत्क्षण मुक्त कर दिया जाता है जबकि जमानत राशि को कार्योपरान्त एक निश्चित अवधि के उपरान्त। दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों को एक साथ, एक ही प्रपत्र पर बन्धक बनाये जाने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा निष्पादन की राशि की मॉग किये जाने पर उक्त प्रकार के F.D.R इत्यादि प्रपत्र मुक्त कर दिये जाते हैं तथा कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर जमानत राशि न होने पर प्रतिपूर्ति सम्बन्ध नहीं हो पाती, जो नियम विरूद्ध है।

उ0प्र0 नगर महापालिका निर्माण कार्य एवं टेण्डर नियमावली 1963 के नियम 13 की टिप्पणी के अनुरूप **'जमानत की राशि मुख्य नगराधिकारी के पक्ष में गिरवी रखे'** जाने के निर्देश हैं। साथ ही नियम 14(ख) के अनुसार **वापसी प्रमाणक प्राप्त करने के दिनाङ्क का अभिदेश पत्रावली तथा माप पुस्तक में लिखा जायेगा। उस धनराशि की पुष्टि महापालिका के केन्द्रीय कार्यालय से भुगतान करने की पूर्व की जायेगी।** ध्यातव्य है कि उ0प्र0 नगर महापालिका सार्वजनिक निर्माण कार्य लेखा नियमावली 1974 के अनुसार **केन्द्रीय कार्यालय का तात्पर्य सम्बद्ध नगर महापालिका के केन्द्रीयत कैश कार्यालय से है।** स्पष्टतः नगर निगम में निविदाओं/कार्यों हेतु जमा की जा रही जमानत राशि/एफ0डी0आर इत्यादि को निगम के खजाने में जमा किया जाना चाहिए, जहाँ से उक्त को कार्योपरान्त निर्धारित समयावधि के पश्चात्; उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए; सम्परीक्षणोपरान्त अवमुक्त किया जाये, जिससे किसी भी वित्तीय/भौतिक अनियमितता की आशङ्का को शून्य किया जा सके परन्तु उक्त का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने से अनियमितता की आशङ्का को बल मिलता है।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों के दृष्टिगत् भविष्य में नियमों/शासनादेशों के अनुरूप कार्य कराते हुए तथा सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्य नियमानुकूल कराया जाना अपेक्षित है जिससे नगर निगम के वित्तीय हितों की संरक्षा सुनिश्चित किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 50/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांङ्कः-04.10.2024

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

कृपया श्री मदन पुत्र श्री हंसा सफाई कर्मचारी के सेवानिवृत्तक देयकों के प्रस्ताव के क्रम में पत्रावली का परीक्षण किया गया परीक्षण में पाया गया कि कार्मिक दिनाङ्क 30.04.2024 को सेवानिवृत्त हो चुका है। पत्रावली के पृष्ठ सं0-14 के अनुसार पत्रांक 466/स्वा0/18 दिनाङ्क 24.10.2018 के द्वारा नगर स्वास्थ्य अधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0-07 को सम्बोधित पत्र के अनुसार सत्र परीक्षण संख्या- 1984/12 सरकार बनाम सबित धारा 307,302,384, आई0पी0सी0 थाना विजय नगर में अभियुक्त सबित की जमानत की गयी। उक्त जमानत में श्री मदन पुत्र श्री श्री हंसा जो नगर निगम में स्थायी कर्मचारी था जो जमानती के रूप में था एवं उसके द्वारा जमानत के रूप में जो प्रपत्र प्रस्तुत किये गये थे वह नगर निगम कार्यालय द्वारा निर्गत किये गये थे जिसके क्रम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जमानती मदन के जी0पी0एफ0 खाता संख्या-555202010060181 से अंकन 1000000/- (एक लाख रूपये मात्र) का भुगतान मा0 न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक रोका गया था।

पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि विभागीय संस्तुति पृष्ठ सं0-18 के क्रम में लेखा विभाग द्वारा बिना पत्रावली का पूर्ण परीक्षण किये मात्र विभागीय संस्तुति के आधार पर पृष्ठ-19 पर भविष्यनिधि खाता संख्या-555202010060181 का ब्याज सहित समस्त धनराशि का भुगतान खाता संख्या-1443000400001162 PUNB0144300 में कार्मिक को कर दिया गया। कृपया संपरीक्षा को अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या उक्त भुगतान के सम्बन्ध में कोई निर्देश/आदेश मा0 न्यायालय से प्राप्त है जो पत्रावली में

संलग्न नही है यदि कोई आदेश प्राप्त नही है तो उक्त भुगतान किस आधार पर किया गया अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण के संबध में वस्तुस्थिति से यथाशीघ्र अवगत कराये ताकि कार्मिक के सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान जो कि लंबित किया जा सके।

पत्रांकः- 57/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांङ्कः-28.11.2024

प्रभारी नजारत

नजारत विभाग की पत्रावलियों के सम्परीक्षण में दृष्टिगत् हुआ है कि विभिन्न कार्यों हेतु की जा रही प्रक्रिया में 2022 की पूर्व-स्वीकृत दरों पर कार्य कराया जा रहा है परन्तु बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उक्त हेतु किसी भी कोटेशन/निविदा का प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। केवल पूर्व स्वीकृत दरों पर ठेकेदारों का स्वयं से यादृच्छिक चयन करते हुए कार्य कराये जाने से निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नही मिल पा रहा है तथा कार्यों में वित्तीय अनियमितता की आशङ्का को भी बल मिलता है।

अतः उपर्युक्त कार्य प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, जिससे निगम की वित्तीय क्षति की सम्भावना को शून्य किया जा सके।

पत्रांकः- 59/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांङ्कः-04.12.2024

मुख्य अभियन्ता (निर्माण)

नगर निगम गाजियाबाद में निर्माण विभाग में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से सम्बन्धित अधोलिखित सूचनाएँ अपेक्षित हैः-

1. निर्माण विभाग में पंजीकृत समस्त फर्मों/ठेकेदारों की श्रेणीवार सत्यापित सूची।
2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवीनीकृत समस्त फर्मों/ठेकेदारों की श्रेणीवार सत्यापित सूची।
3. नवीनीकरण से सम्बन्धित समस्त नियमों/उपनियमों से सम्बन्धित अभिलेख।
4. निर्धारित कालावधि के उपरान्त नवीनीकृत समस्त फर्मों/ठेकेदारों से प्राप्त किये गये विलम्ब शुल्क/ अर्थदण्ड की पृथक-पृथक सूची।

उपर्युक्त समस्त सूचनाओं को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे सम्परीक्षण कार्य सुचारू रूप से किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 61/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांङ्कः-06.12.2024

नगर स्वास्थ्य अधिकारी,

नगर निगम में वाहन मरम्मत से सम्बन्धित पत्रावलियों के सम्परीक्षणार्थ अधोलिखित सूचनाओं की अपेक्षा हैः-

1. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत निगम के वाहनों की सत्यापित सूची।
2. वाहन मरम्मत से सम्बन्धित समस्त फर्मों की सत्यापित सूची एवं पंजीकृत फर्मों से सम्बन्धित मूल पत्रावलियॉं।
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में अद्यतन तिथि तक वाहन मरम्मत मद में भुगतान की गई धनराशि की फर्मवार पृथक्-पृथक् सत्यापित सूची।
4. प्रत्येक वाहन में अद्यतन तिथि तक किये गये व्यय की सत्यापित सूची।

उपर्युक्त समस्त सूचनाओं को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे सम्परीक्षण कार्य सुचारू रूप से किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 62/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांङ्कः-06.12.2024

मुख्य अभियन्ता (निर्माण)

कृपया अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या-50/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनाङ्क 04.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, निर्माण विभाग की कतिपय पत्रावलियों के सम्परीक्षण में अधोलिखित विसङ्गतियाँ दृष्टव्य हैंः-

कतिपय पत्रावलियों में निर्माण कार्य हेतु बन्धक बनाये जाने वाली जमानत राशि सम्बन्धी प्रपत्रों तथा निविदा राशि से न्यून राशि हेतु प्राप्त किये जाने वाले निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) सम्बन्धी प्रपत्रों को एक ही साथ संयुक्त कर F.D.R इत्यादि लिया जाता है, जो नियमानुकूल नहीं है। सूच्य है कि निष्पादन प्रतिभूति को कार्योपरान्त तत्क्षण मुक्त कर दिया जाता है

जबकि जमानत राशि को कार्योपरान्त एक निश्चित अवधि के उपरान्त। दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों को एक साथ, एक ही प्रपत्र पर बन्धक बनाये जाने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा निष्पादन की राशि की मॉग किये जाने पर उक्त प्रकार के F.D.R इत्यादि प्रपत्र मुक्त कर दिये जाते हैं तथा कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर जमानत राशि न होने पर प्रतिपूर्ति सम्बन्ध नहीं हो पाती, जो नियम विरूद्ध है।

उ0प्र0 नगर महापालिका निर्माण कार्य एवं टेण्डर नियमावली 1963 के नियम 13 की टिप्पणी के अनुरूप **'जमानत की राशि मुख्य नगराधिकारी के पक्ष में गिरवी रखे'** जाने के निर्देश हैं। साथ ही नियम 14(ख) के अनुसार **वापसी प्रमाणक प्राप्त करने के दिनाङ्क का अभिदेश पत्रावली तथा माप पुस्तक में लिखा जायेगा। उस धनराशि की पुष्टि महापालिका के केन्द्रीय कार्यालय से भुगतान करने की पूर्व की जायेगी।** ध्यातव्य है कि उ0प्र0 नगर महापालिका सार्वजनिक निर्माण कार्य लेखा नियमावली 1974 के अनुसार **केन्द्रीय कार्यालय का तात्पर्य सम्बद्ध नगर महापालिका के केन्द्रीयत कैश कार्यालय से है।** स्पष्टतः नगर निगम में निविदाओं/कार्यों हेतु जमा की जा रही जमानत राशि/एफ0डी0आर इत्यादि को निगम के खजाने में जमा किया जाना चाहिए, जहाँ से उक्त को कार्योपरान्त निर्धारित समयावधि के पश्चात्; उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए; सम्परीक्षणोपरान्त अवमुक्त किया जाये, जिससे किसी भी वित्तीय/भौतिक अनियमितता की आशङ्का को शून्य किया जा सके परन्तु उक्त का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने से अनियमितता की आशङ्का को बल मिलता है।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों के दृष्टिगत् भविष्य में नियमों/शासनादेशों के अनुरूप कार्य कराते हुए तथा सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्य नियमानुकूल कराया जाना अपेक्षित है जिससे नगर निगम के वित्तीय हितों की संरक्षा सुनिश्चित किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रांकः- 64/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांङ्कः-18.12.2024

<u>जोनल प्रभारी वसुन्धरा,</u>

कृपया नगर आयुक्त महोदय के पत्रांक संख्या 659/न0आ0/24-25 दिनाङ्क 03.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो इन्दिरापुरम योजना हस्तगत होने उपरान्त लिए जा रहे अनुरक्षण शुल्क के सम्परीक्षा के सम्बन्ध में है।उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि गाजियाबाद नगर निगम को इन्दिरापुरम योजना हस्तगत हो गयी है तथा इन्दिरापुरम निवासियों द्वारा अनुरक्षण शुल्क निगम कोष में जमा कराया जा रहा है जिस हेतु वसुन्धरा जोन में जमा कराये जा रहे अनुरक्षण शुल्क सम्बन्धी समस्त प्रपत्र/प्रक्रिया व अनुरक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि की सम्परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है।

अतः उपर्युक्त हेतु समस्त/अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे परीक्षण कर ससमय आख्या प्रस्तुत किया जा सके।

पत्रांकः-73/डी0/मु0न0ले0परी0/2024-25, दिनांङ्कः-18.02.2025

उपसंहार

आय पक्ष, व्यय पक्ष, एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावलियों की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि उक्त चारों पक्षों में आडिट आपत्तियों को संज्ञान में लेकर सुधार की आवश्यकता है। करों की वसूली विशेष रूप से सम्पत्ति कर, विज्ञापन स्थल का किराया, लाईसेन्स शुल्क, कूड़ा विक्रय से प्राप्त आय में वृद्धि हेतु आवश्यक प्रयास किया जाना तथा अनावश्यक व्यय (डीजल, पेट्रोल तथा साज-सज्जा आदि) पर यथा सम्भव नियन्त्रण रखा जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उठायी गयी विशेष आपत्तियों, साधारण आपत्तियों एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित पत्रों को यथा स्थिति नगर आयुक्त, सम्बन्धित विभागाध्यक्षों एवं प्रभारी अधिकरियों को उनके निस्तारण तथा समुचित कार्यवाही हेतु समय-समय पर प्रेषित किया जाता रहा परन्तु पाया गया कि लेखा परीक्षा विभाग की आपत्तियों, एवं भेजे गये पत्रों के प्रकाश में आय के समुचित संसाधन विकसित किये जाने, आडिट आपत्तियों का उत्तर प्रस्तुत करने तथा उनके निराकरण कराने के प्रति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी तथा निगम प्रशासन द्वारा कभी कोई बैठक या कार्यशाला आयोजित नही की जाती। जिसके परिणामस्वरूप निगम आय में न तो आशातीत वृद्धि हो पा रही है न ही आय के नये आयाम विकसित हो पा रहे हैं। अनिर्णीत लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण हेतु कोई प्रयास न किये जाने से उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उठायी गयी आडिट आपत्तियों तथा पत्रों के प्रकाश में शासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम प्रशासन को समुचित आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है, ताकि आन्तरिक आडिट की मूल अवधारणा का औचित्य निगम हित में स्थापित हो सके। उपर्युक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है कि आपत्तियों के उठाये जाने तथा पर्याप्त पत्र व्यवहार किये जाने के उपरान्त भी निगम प्रशासन द्वारा आडिट कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है तथा न ही वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा आडिट के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाये जाने के कारण गम्भीर मामलों का पटाक्षेप हो पाना सम्भव नही हो पाता।

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन को तैयार कराये जाने हेतु लेखा परीक्षा विभाग के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक तथा कम्प्यूटर आपरेटर का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होनें इस प्रतिवेदन को तैयार कराने में विशेष सहयोग प्रदान किया है।

नगर निगम प्रशासन तथा माननीय कार्यकारिणी समिति का ध्यान उपरोक्त तथ्यों की ओर इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि प्रतिवेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर प्रत्येक स्तर से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक,
नगर निगम गाजियाबाद।